



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
 (उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U. P. POWER CORPORATION LIMITED
 (Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
 14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
 CIN: U32201UP1999SC024928

संख्या—2052—आप्र०—07/पाकालि/21—06—आप्र०—07/11

दिनांक 30/06/2021

कार्यालय ज्ञाप

उप्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तथा पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा घोषित कम्बाइन्ड सीनियारिटी के आधार पर 8.56% प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (ई० एण्ड एम०) से सहायक अभियन्ता (ई० एण्ड एम०) के पद पर प्रोन्नति हेतु दिनांक 10.03.2021 को सम्पन्न हुई विभागीय चयन समिति की बैठक में मोहरबन्द किये गये प्रकरणों में से श्री गेनू राम (वरिंक्र०-2010/CEH/806), अवर अभियन्ता के विरुद्ध डाले गये विविध अग्रिम रु० 2,69,727.00 को अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल—दशम, लेसा, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं०-1970/विन०विमं०-दशम/लेसा/ई-११/दिनांक 07.04.2021 द्वारा समाप्त कर दिये जाने एवं इनके विरुद्ध चल रहे एक अन्य शिकायती प्रकरण को कार्यालय ज्ञाप सं०-215-प्रनि/मविविनिल/डी०पी०-२/४८, दिनांक 10.05.2021 द्वारा कठोर चेतावनी प्रदान करते हुए समाप्त किये जाने की प्राप्त सूचना के दृष्टिगत इनका मोहरबन्द लिफाफा दिनांक 30.06.2021 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में खोलकर, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई० एण्ड एम०) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा निम्नवत तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित निगम को तैनाती हेतु आवंटित किया जाता है :—

क्र० सं०	अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम गृह जनपद/जन्मतिथि/वरिंक्र०	अवर अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती स्थान	सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति पश्चात् तैनाती हेतु आवंटित डिस्कॉम/इकाई	आवंटित अभिज्ञान सं०
1	2	3	4	5
1	श्री गेनू राम/श्री सुखदेव राम कुशीनगर/12.05.1973/10/CEH/806	विं० न०विं०खं० —तृतीय बरेली	मध्यांचल विं०विं०निं०लि०	2020399

2. इस आदेश द्वारा प्रोन्नत किये जा रहे अभियन्ता की सहायक अभियन्ता के पद पर एकल पारस्परिक वरिष्ठता सूची चयन वर्ष 2020-21 में सहायक अभियन्ता (वै० एवं यां०) की सीधी भर्ती की उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध चयनित होने वाले सहायक अभियन्ताओं के साथ 'Amalgamate' करते हुए घोषित की जायेगी।
3. परिषदादेश सं०-1849-काविनी/राविपि-29/97-14-काविनी/87, दिनांक 08.10.1997 के प्रस्तर-7(ग) में निहित प्राविधानानुसार श्री गेनू राम (वरिंक्र०-2010/CEH/806) को उनसे आसन्न कनिष्ठ श्वेता कुमारी (वरिंक्र०-2012/CEH/38) की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति आदेश सं०-955-आप्र०-07, दिनांक 17.03.2021 के निर्गमन की तिथि अर्थात् 17.03.2021 से प्रोन्नत माने जाने के आदेश किये जाते हैं।
4. उपरोक्त प्रोन्नत कार्मिक पूर्व परिषदादेश सं०-485-ए-आर/राविपि-01-28-एआर/89, दिनांक 27.03.89 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेगे। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे।
5. सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक/मुख्य अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ताओं के नियंत्रक अधिकारी उन्हें वर्तमान कार्यभार से कार्यमुक्त करने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें :—
 - (क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
 - (ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन का प्रकरण लम्बित न चल रहा हो।
 - (ग) अवर अभियन्ता के विरुद्ध यदि कोई विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो उसकी नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।

- (घ) यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में काठगाड़ी में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।
6. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत उक्त अभियन्ता, इस आदेश के निर्गत होने से **एक माह के भीतर** अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। प्रोन्नत कार्मिक को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा अवमुक्त कर दिया जाए।
 7. सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त अभियन्ता की तैनाती उठप्र०पा०का०लि० में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति एवं जनहित याचिका सं०-७९ / १९९७ में मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक २१.०३.२००७ में निहित निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।
 8. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रोन्नत अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को, उठप्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा निर्गत आदेश सं०-५९१०-गोपन/पाकालि(०६) / २००१, दिनांक ११.०६.२००१ के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाक्षर प्रस्तुत कर चुका हो।


प्रबन्ध निदेशक

संख्या :-२०५२-अ०प्र०-०७/पाकालि/२०२१/तददिनांक (३०.०६.२०२१)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उठप्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उठप्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण-प्रथम/द्वितीय), उठप्र०पा०ट्रा०का०लि०, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उठप्र० पा०का०लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारी का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु अवश्यक व्यवस्था करें।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उठप्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को पत्रांक-२०१-अनु०-०१/सहा०अभि०(पदो०), दिनांक ०२.०३.२०२१ द्वारा प्रेषित छान समिति की आख्या के सन्दर्भ में।
7. उप सचिव (अ०प्र०-०३ / ०४ / गोपन), उठप्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उठप्र०पा०का०लि० शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उठप्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अनुभाग अधिकारी (अ०प्र०-०३ / ०४), उठप्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
11. उपरोक्त संबंधित अधिकारी/प्रोन्नत अभियन्ता को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी प्रमाणक पत्र (चार्ज सर्टिफिकेट) उप सचिव (०३ / ०४), उठप्र० कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन (ds0304uppcl@gmail.com / uppcljs02@gmail.com) एवं लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उठप्र० कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार (vetanlekha@gmail.com) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
12. पत्रावली सं०-२५-अ०प्र०-०७ / २०
13. गार्ड फाइल / कट फाइल।

आज्ञा से,


 (राजेन्द्र कुमार वर्मा)
 उप सचिव (०७)
